लखनऊ, उत्तर प्रदेश के संबंध में इस आशय का कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि या तो इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए अथवा इसे शतप्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक प्रदान की जा चुकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां। लखनऊ में डा॰ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने या विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) और (ग) लखनऊ में डा॰ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक अधिनियम द्वारा की गई है। नीति के तौर पर केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित नहीं करती है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सीधे वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करती। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्होंने न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं स्थापित की हैं तथा निर्धारित न्यूनतम संख्या में अध्यापन व गैर-अध्यापन स्टाफ की नियुक्ति की है व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों और उसके अधीन अधिसूचित विनियमों के अनुसार अन्य आवश्यक शर्तें पूरी की हों।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

3905. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में व्यापक संशोधन करने हेतु क्या-क्या कदम उठा रही है और इस संबंध में संशोधन विधेयक को संसद में कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) मई 1990 में सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में संशोधन के लिए विधान को मसौदा तैयार करने के वास्ते एक प्रारूप समिति का गठन किया था। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अनुरोध पर प्रारूप समिति की रिपोर्ट दिसम्बर, 1991 में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के पास विचारार्थ भेज दी गई थी। कार्यकारी परिषद के विचार अभी-अभी प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

देश में संस्कृत विश्वविद्यालय

3906. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार द्वारा कोई संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार देश में कोई संस्कृत विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सिद्धान्त रूप से श्रृंगेरी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। संस्थागत ढांचे तैयार किए जाएगें जो कुछ समय बाद विश्वविद्यालय में विकसित हो जाऐंगे।

Computer courses in Kendriya Vidyalaya

3907. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether in order to start computer courses in some Kendriya Vidyalayas during 1992-93, some fee was collected from the students in February, 1992;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the said courses have since been started in any of the Vidyalayas during 1992-93;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(e) whether Government propose to